

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/खुली बिक्री/2019/530

दिनांक :- 26/8/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पाली के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्गों के अधिशेष 174 स्वतन्त्र आवासों, जिनको पूर्व में आदेश क्रमांक मुसप्र/नीलामी/2019/178 दिनांक 04.06.19 के द्वारा नीलामी के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब उक्त स्वतन्त्र 174 आवासों को आवासन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक 05.07.19 में प्रदत्त निर्देशों की पालना एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर तथा मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण किये जाने वाले स्वतन्त्र 174 आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	शहर	आय वर्ग	आवास संख्या	आवासों की संख्या
1	नई भूमि योजना	पाली	एलआईजी	5-डी-116	01
2	सुमेरपुर	सुमेरपुर	एलआईजी	1/47	01
3	सुमेरपुर	सुमेरपुर	एमआईजी-ए	1/122	01
4	सिरोही	सिरोही	एमआईजी-बी	1/428, 1/433	02
5	सिरोही	सिरोही	एचआईजी	1/4, 2-ए-51	02
6	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	एलआईजी	1/42, 1/43, 1/44	03
7	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	एमआईजी-ए	1/62, 1/64, 2/25, 2/35, 2/45, 3/20	06
8	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	एमआईजी-बी	2/10, 2/12	02
9	आकराभाटा	आबूरोड	ईडब्ल्यूएस	1-ई-48, 2-एफ-50, 2-एफ-54, 2-एफ-64, 2-एफ-65, 2-एफ-76, 2-एफ-78, 2-एफ-79, 2-एफ-82, 2-एफ-84, 2-एफ-86, 2-एफ-87, 2-एफ-113,	13
10	आकराभाटा	आबूरोड	एलआईजी	2-डी-54, 2-डी-95, 2-डी-176, 2-डी-179, 2-डी-181, 2-डी-183, 2-डी-185-बी, 2-डी-185-एफ, 2-डी-185-एच, 2-डी-185-के, 2-डी-196, 2-डी-208, 2-डी-209	13


11	आकराभाटा	आबूरोड	एमआईजी-ए	2-सी-34, 2-सी-76, 2-सी-77, 2-सी-80, 2-सी-81	05
12	मानपुर	आबूरोड	ईडब्ल्यूएस, घरौंदा	1-बी-71, 1-बी-72, 1-बी-73, 1-बी-75, 1-बी-78, 1-बी-79, 1-बी-80, 1-बी-81, 1-बी-84, 1-बी-88, 1-बी-94, 1-बी-95, 1-बी-98, 1-बी-101, 1-बी-103, 1-बी-109, 1-बी-110, 1-बी-111, 1-बी-113, 1-बी-114, 1-बी-117, 1-बी-119, 1-बी-123, 1-बी-125, 1-बी-126, 1-बी-130, 1-बी-131, 1-बी-134, 1-बी-139, 1-बी-140, 1-बी-141, 1-बी-145, 1-बी-152, 1-बी-153, 1-बी-154, 1-बी-157, 1-बी-166, 1-बी-167, 1-बी-168, 1-बी-169, 1-बी-170, 1-बी-172, 1-बी-175, 1-बी-176, 1-बी-178, 1-बी-180, 1-बी-183	47
13	मानपुर	आबूरोड	ईडब्ल्यूएस	1-ए-99, 1-बी-247, 1-बी-250, 1-बी-256, 2/239, 2/241, 2/256, 2/257, 2/260, 2/261, 2/271, 2/274, 2/277, 2/278, 2/280, 2/284, 2/289, 2/307, 2/312, 2/315, 2/324, 2/328, 2/336, 2/341, 2/344, 2/352, 2/353, 2/354, 2/355, 2/356, 2/357, 2/16, 2/25	33

14	मानपुर	आबूरोड	एलआईजी	1-बी-312, 2/44, 2/51, 2/57, 2/60, 2/67, 2/74, 2/75, 2/76, 2/166, 2/167, 2/170, 2/173, 2/223, 2/224, 2/227, 2/228, 2/237, 2/362, 2/368, 2/370	21
15	मानपुर	आबूरोड	एमआईजी-ए	1-ए-15, 1-बी-332 1-बी-348, 1-बी-351, 2/36, 2/108, 2/114, 2/121, 2/124, 2/126, 2/150, 2/153, 2/189, 2/191, 2/197, 2/199, 2/202, 2/204	18
16	मानपुर	आबूरोड	एमआईजी-बी	2/5, 2/6, 2/11, 2/12, 2/380	05
17	मानपुर	आबूरोड	एचआईजी	2/139,	01
कुल योग					174

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवासों को खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में उल्लेखित निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें :-


1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा सं. 22/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा० आ०म०, वृत्त-द्वितीय, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-पाली, रा०आ०म०, पाली।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक